केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/363 दिनांक: 09.09.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00360
CICOM/R/2016/00899

अपीलकर्ता : श्री वेदपाल यादव,
म. नं. 20/2, रेलवे रोड,
समयपुर, दिल्ली – 110042.

निर्णय की तारीख : 09.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.06.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	20.07.2016, 02.08.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार, श्री आर.पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	01.09.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	168168/01.09.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	517/02.09.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SA/A/2014/000051, CIC/SA/A/2014/000244, CIC/SA/A/000697, CIC/SA/A/2014/942 एवं CIC/SA/A/2014/001864 की सुनवाई प्रक्रिया तथा आदेश का अनुपालन तथा द्वितीय अपील सं. CIC/YA/A/2014/003359 के अनुपालन तथा सूचना आयुक्त श्री श्रीधर आचार्युलू एवं श्री यशोवर्द्धन आजाद द्वारा उनके कार्यकाल में लगाए गए दण्ड से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से सुनवाई प्रक्रिया एवं आदेशों के अनुपालन पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अभियोग लगाया है कि आवेदन के बिंदु सं. 4 के संदर्भ में सूचना आयुक्त श्री यशोवर्द्धन आजाद द्वारा लगाए गए दंण्ड की आंशिक व अस्पष्ट सूचना दी गई है जबकि श्री श्रीधर आचार्युलू द्वारा लगाए गए दण्ड की कोई सूचना नहीं दी गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता को आवेदन के बिंदु सं. 1 से 3 के संदर्भ में जन सूचना अधिकारियों द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है, माननीय सूचना आयुक्तों की सुनवाई प्रक्रिया के संबंध में जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती । **आवेदन के बिंदु सं. 4 (सूचना आयुक्त श्री श्रीधर आचार्युलू एवं श्री यशोवर्द्धन आजाद द्वारा कार्यकाल में लगाए गए दण्ड से संबंधित) के संदर्भ में श्री किशोर कुमार पुखराल, अनुभाग अधिकारी (विधि अनुभाग) व जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना पूर्ण व स्पष्ट रूप में प्रदान की जाए, यदि आवश्यक हो तो सूचना से संबंधित अन्य अधिकारियों की सहायता ली जाए ।**

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री किशोर कुमार पुखराल, अनुभाग अधिकारी (विधि) व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
4. श्री आर.पी.ग्रोवर, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।